

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2020/PM1/11

New Delhi, dated 01.08.2022

The General Manager (P)
All Zonal Railways/PUs
(As per standard mailing list)

Sub: Relieving of employees on promotion – instructions reg.

Ref: Board's letter (i) No. E(NG)I/95/PM1/8 dated 03.08.1995n (ii) No. E(NG)I-90/PM1/11 dated 09.05.1991 & (iii) No. E(NG)I-97/PM1/13 dated 11.07.1997.

In terms of instructions contained in the Board's letters referred to above, the Railway Administration are required to take special care to ensure that the employees promoted are relieved without any undue delay so that they may join the new place of posting on promotion in time and do not suffer any monetary loss on this account. The instructions further stipulates that wherever the employees are not relieved even within three months of issue of promotion orders, such cases must be put up to DRM or Head of the Office, and the Controlling Officer held responsible for not relieving the staff concerned.

Instances have come to the notice of the Board that staff have not been relieved by the Administration in time even on promotion, on administrative ground or the other, resulting in claims for stepping up of pay etc. of the concerned staff. This issue has also been taken up by NFIR in the forum of PNM.

The matter has been examined and it has been decided to reiterate the instructions regarding relieving the employees on promotion in time.

Accordingly, while reiterating the instructions contained in aforesaid letters regarding relieving the employees on promotion in time, it is desired that the same should be scrupulously followed so that the concerned staff do not suffer any monetary loss on this account.

Please acknowledge receipt of this letter.

Hindi version will follow.

(Sanjay Kumar)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

E-mail: sanjay.kumar6@gov.in
Ph. No. 43658/01123303658

No. E(NG)I-2020/PM1/11

New Delhi, dated 01.08.2022

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).

Contd....2/-

- Krumm*
for Secretary/Railway Board

PPSs to Chairman & CEO, M(F), M(Infra.), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

* * * * *

कृपया पावती दें
12/8/22

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)/2020/पीएम1/11

नई दिल्ली, दिनांक 01.08.2022

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: पदोन्नति पर कर्मचारियों को कार्यभार मुक्त करने के संबंध में अनुदेश।

संदर्भ: बोर्ड का (i) दिनांक 03.08.1995 का पत्र सं. ई(एनजी)/95/पीएम1/8 (ii) दिनांक 09.05.1991 का पत्र सं. ई(एनजी)/I-90/पीएम1/11 और (iii) दिनांक 11.07.1997 का पत्र सं. ई (एनजी)/I-97/पीएम1/13.

बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, रेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि पदोन्नत कर्मचारियों को बिना किसी देरी के कार्यभार मुक्त किया जाए ताकि वे पदोन्नति पर तैनाती के स्थान पर समय से कार्यभार ग्रहण कर सकें और इसके कारण उन्हें कोई आर्थिक हानि न हो। अनुदेशों में यह भी नियत है कि जहां-कहीं कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश जारी होने के तीन माह के भीतर भी कार्यभार मुक्त नहीं किया जाता है, ऐसे मामलों को मंडल रेल प्रबंधक अथवा कार्यालय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और संबंधित अधिकारी को कार्यभार मुक्त नहीं करने के लिए नियंत्रण अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाए।

बोर्ड के ध्यान में कुछ मामले आए हैं कि पदोन्नति पर कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार अथवा किसी अन्य आधार पर प्रशासन द्वारा कार्यभार मुक्त नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संबंधित कर्मचारी के वेतन में वृद्धि आदि का दावा किया गया है। एनएफआईआर द्वारा भी इस मामले को पीएनएम के फोरम में उठाया गया है।

इस मामले की जांच की गई है और कर्मचारियों को पदोन्नति पर समय से कार्यभार मुक्त करने के संबंध में अनुदेशों को दोहराने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, कर्मचारियों को पदोन्नति पर समय से कार्यभार मुक्त करने से संबंधित उक्त पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों को दोहराते समय यह वांछा की जाती है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि संबंधित कर्मचारी को इस कारण कोई आर्थिक हानि न हो।

कृपया पावती दें।

12/8/22

11/8/22

(संजय कुमार)

उप निदेशक स्थापना (एन)

रेलवे बोर्ड


ई मेल: sanjay.kumar6@gov.in

फोन नं. 43658/01123303658

का. प्रत.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन 
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड